निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1280) पटना, वृहस्पतिवार, 24 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2025

सं० *वि०स०वि०-13/2025*-3167/*वि०स०*—"कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025", जो बिहार विधान सभा में दिनांक-23 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-15/2025]

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) को संशोधित करने हेतु विधेयक।

प्रस्तावनाः—चूँकि राज्य सरकार बिहार राज्य में औद्योगिक निवेश एवं व्यवसाय के सरलीकरण हेतु सकारात्मक वातावरण बनाने हेतु वचनबद्ध है।

और चूँकि अन्य राज्यों में भी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

और चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) को संशोधन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

(1) यह अधिनियम कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **अधिनियम की धारा 54 का संशोधन।** — कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 1948 का 63) (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 54 में,—

(i) विद्यमान उपबंध को उपधारा (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा; तथा

(ii) इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा में निर्दिष्ट कार्य के दैनिक अधिकतम घंटों को, किसी भी दिन में विश्राम के लिए अंतराल सहित, धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घंटों के अधीन रहते हुए, किसी भी समूह या वर्ग या कारखानों के संबंध में, ऐसी शर्तों पर, जैसी वह समीचीन समझे, ऐसे कार्य के लिए ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अधीन रहते हुए, बारह घंटे तक बढ़ा सकेगी और उक्त सप्ताह के शेष दिन कर्मकार के लिए सवेतन अवकाश होंगे।"

3. **अधिनियम की धारा 55 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या विवरण के संबंध में किसी श्रमिक के काम के कुल घंटों की संख्या को बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक बढ़ा सकेगी, ऐसी शर्तों पर, जैसा वह धारा 54 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कार्य घंटों में लचीलेपन के प्रावधान के कारण समीचीन समझे।"

4. **अधिनियम की धारा 56 का संशोधन।** — मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

(i) विद्यमान उपबंध को उपधारा (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा; तथा

(ii) इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) राज्य सरकार, धारा 54 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कार्य घंटों में लचीलेपन के उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर, जैसा वह समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या विवरण के संबंध में विश्राम के लिए अंतरालों को सम्मिलित करते हुए, 12 घंटों तक प्रसार को बढ़ा सकेगी।"

5. **अधिनियम की धारा 59 का संशोधन।** — मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) जहां कोई कर्मकार किसी कारखाने में काम करता है,—

(i) किसी दिन नौ घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में छह दिन काम करता है;

(ii) किसी दिन दस घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में पांच दिन काम करता है;

(iii) किसी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में चार दिन काम करता है, या सवेतन छुट्टियों पर काम करता है

—तो वह ओवरटाइम काम के संबंध में अपनी सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा।"

6. **अधिनियम की धारा—65 की उपधारा 3 में संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (iv) में, 'पचहत्तर' शब्दों के स्थान पर 'एक सौ चौवालीस घंटे' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (v) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(v) किसी कर्मकार से ऐसे कार्य के लिए ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अधीन रहते हुए ओवरटाइम कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी।''

7. **अधिनियम की धारा–106–A के पश्चात् नये प्रावधानों को जोड़ा जाना।**–अधिनियम की धारा–106–A के पश्चात् धारा 106–B निम्नवत् जोड़ा जाएगा :–

106–B. अपराधों का शमन :–(1) चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध, यदि पहली बार किए गए हों, तो अभियोजन संस्थित करने से पहले या बाद में ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी राशि के लिए शमन किया जा सकता है, जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करे। अनुसूचित अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने की राशि धारा 92 के अंतर्गत विहित जुर्माने की राशि से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन कर दिया गया है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में अधिभोगी के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) यदि अभियुक्त अपराध के शमन हेतु ऐसी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी रखी जाएगी।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व कर दिया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में उस अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा शमन उस न्यायालय के ध्यान में लिखित रूप में लाया जाएगा, जिसमें वह अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन के अनुमोदन पर वह व्यक्ति(यों), जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

8. **अधिनियम की तीसरी अनुसूची के बाद चौथी अनुसूची का जोड़ा जाना।**– मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के बाद चौथी अनुसूची को निम्नवत् जोड़ी जाएगी, अर्थात :–

''चौथी अनुसूची''

(धारा 92–ए देखें)

शमनीय अपराधों की सूची

क्रम संख्या	धारा और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा उसके अंतर्गत जारी आदेश	अपराध की प्रकृति
1	धारा 6, कारखाना लाईसेंस	बिना निबंधन कराये कारखाना का संचालन।
2	धारा 11–स्वच्छता	प्रावधानों के अनुसार साफ–सफाई न रखना।
3	धारा 18, पीने का पानी	प्रावधानों के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था न करना और उसका रखरखाव न करना।
4	धारा 19–शौचालय और मूत्रालय	प्रावधानों के अनुसार शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था न करना।
5	धारा 20 थूकदान	क) प्रावधानों के अनुसार थूकदान न उपलब्ध कराना। ख) धारा 20 की उपधारा (3) का उल्लंघन करते हुए थूकना।
6	धारा 42. धुलाई की सुविधा	प्रावधानों के अनुसार धुलाई की सुविधा उपलब्ध न कराना और उसका रख–रखाव न करना।
7	धारा 43. गीले कपड़ों को रखने और सुखाने की सुविधा	प्रावधानों के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध न कराना।
8	धारा 44. बैठने की सुविधा	प्रावधानों के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध न कराना।
9	धारा 46. कैंटीन	प्रावधानों के अनुसार कैंटीन उपलब्ध न कराना और उसका रख–रखाव न कराना।
10	धारा 47. आश्रय, विश्राम कक्ष और दोपहर के भोजन के कमरे	प्रावधानों के अनुसार आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष उपलब्ध न कराना और उसका रख–रखाव न कराना।
11	धारा 48. क्रेच	प्रावधानों के अनुसार क्रेच उपलब्ध न कराना और उसका रख–रखाव न कराना।
12	धारा 53 की उपधारा (2)–प्रतिपूरक अवकाश	प्रतिपूरक अवकाश के लिए नोटिस प्रदर्शित न करना और रजिस्टर न रखना।
13	धारा 59 की उपधारा (5)– ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त मजदूरी।	निर्धारित रजिस्टर न रखना।
14	धारा 60–दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध।	किसी भी दिन किसी कर्मचारी को दोहरा रोजगार देना।

क्रम संख्या	धारा और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा उसके अंतर्गत जारी आदेश	अपराध की प्रकृति
15	धारा 61–वयस्कों के लिए कार्य की अवधि की सूचना।	प्रावधानों का पालन न करना।
16	धारा 62– वयस्क श्रमिकों का रजिस्टर।	प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर न रखना।
17	धारा 63– कार्य के घंटे धारा 61 के अंतर्गत नोटिस के अनुरूप होंगे।	प्रावधानों का पालन न करना।
18	धारा 79–मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश।	प्रावधानों का पालन न करना।
19	धारा 80–छुट्टी अवधि के दौरान मजदूरी	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
20	धारा 81– कुछ मामलों में अग्रिम भुगतान।	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
21	धारा 82–अवैतनिक मजदूरी की वसूली का तरीका।	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
22	धारा 93–कुछ परिस्थितियों में परिसर के मालिक की ज़िम्मेदारी।	उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के खंड (i) एवं (vi) में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करना।
23	धारा 97–कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध।	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
24	धारा 108–नोटिस प्रदर्शित करना।	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
25	धारा 110–रिटर्न।	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
26	धारा 111–कर्मचारियों का दायित्व।	प्रावधानों का अनुपालन न करना।
27	धारा 111–ए–कर्मचारियों के अधिकार, आदि।	श्रमिकों के अधिकारों का हनन।
28	धारा 114–सुविधाओं और सहूलियतों के लिए कोई शुल्क नहीं।	अधिनियम के तहत किसी भी सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक से शुल्क की मांग करना

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं राज्य में निवेश के अवसर को आकर्षित करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, 1948 के कतिपय प्रावधानों में राज्य संशोधन किया जाना आवश्यक महसूस किया जा रहा था।

इसी क्रम में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–54, धारा–55, धारा–56, धारा–59 एवं धारा–65 की उपधारा 3 में संशोधन एवं धारा–106–B के रूप में नये प्रावधान को जोड़े जाने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 में उपरोक्त प्रावधानों को संशोधित करना आवश्यक है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के लागू होने के ऐसा होने से राज्य के दखलकार कारखानों का संचालन निर्बाध रूप से कर सकेंगे एवं यह कदम व्यवसाय सरलीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में एक नया आयाम जोड़ेगा। इन प्रावधानों को जोड़ने से कारखानों में नियोजित कामगारों को अधिक ओवर टाईम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक राशि का भुगतान हो सकेगा।

वहीं दूसरी ओर अपराधों का शमन से संबंधित प्रावधान जोड़े जाने से कारखाना के दखलकारों पर वैसे अपराधों के लिए अभियोजन संस्थित नहीं किया जा सकेगा, जो विधेयक के साथ संलग्न अनुसूची–पअ मे वर्णित है।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

(संतोष कुमार सिंह)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–23.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1280-571+10-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in